न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 82/2018 – निगरानी

गोपाल जाट आत्मज श्री मगनीराम जाट निवासी – चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती राजी देवी पत्नी श्री शोभा लाल पारीक निवासी– चीडखेडा तहसील सहाडा
2. ग्राम पंचायत चीडखेडा पं.सं. सहाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चीडखेडा पं. सं. सहाडा
3. ग्राम पंचायत चीडखेडा पं.सं. सहाडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत चीडखेडा पं.सं. सहाडा
4. विकास अधिकारी पं.सं. सहाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 49 दिनांक 08.06.2017 मिसल पत्रावली संख्या 153 संवत् 2074 दिनांक 09.05.2017

उपस्थित –

1. श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पंकज दाधीच अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28-11-2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत चीडखेडा पंचायत समिति सहाडा के सरपंच, सचिव गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा संख्या 49 नपती 50 बाई 40 फीट का वाके आबादी हल्का चीडखेडा में पड़ोस पूर्व में केशर देवी जाट, दक्षिण में आशाहोली रोड़, का पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने बाबत शिकायत की गयी, जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी पं.सं. सहाडा द्वारा दिनांक 14.11.2017 को जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उक्त पट्टा जारी किया गया, जो वर्ष 1989 के पश्चात आबादी भूमि में परिवर्तन हुई, इससे पूर्व यह भूमि बिलानाम थी तथा इस भूमि पर छोटू लाल पारीक द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था, जो शोभा लाल ने पक्का निर्माण कर अपनी पत्नी गैर निगराकार संख्या 01 एवं अपनी पुत्रवधु के नाम पर पटट्ा जारी किया गया जो मौके पर भूखण्ड है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में वर्णित प्रावधान अनुसार आबादी भूमि में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में अवहेलना की गयी जो नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये जो विधि विरूद्ध है व आगे भी रिपोर्ट में लिखा कि उक्त पट्टे पुश्तैनी नही बनने चाहिये अपितु नियम 156 के तहत वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार कब्जे धारक से राशि वसूल कर विक्रय किये

जाने चाहिये व उक्त जारी पट्टा रजिस्ट्री निरस्त कराये जाने योग्य है। इसके बावजूद भी आज दिन तक विपक्षी संख्या 03 द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त नही करवाया गया है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जिसकी मिसल भी कायम नही की गयी है। बिना मिसल के उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत उद्घोषणा किये ही उक्त पट्टा जारी किया है, जो निगराकार के हक अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही शून्य है, जबकि निगराकार का आज भी बदस्तूर काबिज है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधनों की पालना नही कर उक्त पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 के अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नही किया गया, बल्कि एक ही दिन में घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी, जबकी नियम 145(3) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे 25/– रूपये व नियम 145(3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/–रूपये जमा कराना अनिवार्य होता है। जबकि गैर निगराकार संख्या 01 ने ऐसा कोई शुल्क भी जमा नही कराया। जिससे भी स्पष्ट होता है कि नियम 145 क्रय के लिए आवेदन की पालना गैर निगराकार संख्या 02 ने नहीं कर मात्र गैर निगराकार संख्या 01 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय कर पट्टे की राशि जारी कर दी, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की, न ही कोई ग्राम पंचायत चीडखेडा व ग्राम चीडखेडा में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त भूमि वर्ष 1989 में बिलानाम थी व किसी प्रकार से पुश्तैनी सम्पत्ति गैर निगराकार संख्या 01 की नहीं है, जिससे पुश्तैनी पट्टा किसी भी आधार पर जारी नहीं किया जा सकता है। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी, जिस पर दिनांक 14.11.2017 को जांच कर पट्टा निरस्त कराये जाने योग्य बाबत रिपोर्ट पेश की, इसके बावजूद भी पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही नही है, जिससे यह निगरानी अविलम्ब अन्दर पेश की जा रही है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 49 दिनांक 08.06.2017 मिसल पत्रावली संख्या 153 संवत 2074 दिनांक 09.05.2017 को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 13.04.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब पेश हुआ। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार अधिवक्ता ने बहस में बताया निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत चीडखेडा पंचायत समिति सहाडा के सरपंच, सचिव गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा संख्या 49 नपती 50 बाई 40 फीट का वाके आबादी हल्का चीडखेडा में पड़ोस पूर्व में केशर देवी जाट, दक्षिण में आशाहोली रोड़, का

पुश्तैनी पट्टा जारी किया गया। वर्ष 1989 के पश्चात आबादी भूमि में परिवर्तन हुई, इससे पूर्व यह भूमि बिलानाम थी तथा इस भूमि पर छोटू लाल पारीक द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था, जो शोभा लाल ने पक्का निर्माण कर अपनी पत्नी गैर निगराकार संख्या 01 एवं अपनी पुत्रवधु के नाम पर पटट्ा जारी किया गया जो मौके पर भूखण्ड है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1966 के नियम 157 में वर्णित प्रावधान अनुसार आबादी भूमि में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में अवहेलना की गयी जो नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये जो विधि विरूद्ध है। बिना मिसल के उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत उद्घोषणा किये ही उक्त पट्टा जारी किया है, जो निगराकार के हक अधिकारों के मुकाबले शुरू से ही शून्य है। उक्त भूमि वर्ष 1989 में बिलानाम थी व किसी प्रकार से पुश्तैनी सम्पत्ति गैर निगराकार संख्या 01 की नहीं है, जिससे पुश्तैनी पट्टा किसी भी आधार पर जारी नहीं किया जा सकता है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 49 दिनांक 08.06.2017 मिसल पत्रावली संख्या 153 संवत 2074 दिनांक 09.05.2017 को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पटटा विधि सम्मत पारित किया गया। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2017 को तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर गैर निगराकार के मौके का निरीक्षण कराया जिसका पटटा जारी किया जाने के लिए कमेटी ने गैर निगराकार का पैतृक मानकर अनुशंषा की है। निगराकार ने स्वयं स्वीकार किया कि जहां पर गैर निगराकार का कच्चा/पक्का घर स्थित था, भूमि 1989 में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गयी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना संख्या एफ4(7)पीआरडी/ला/रूल/एगेड/07/1166 दिनांक 09.04.2007 द्वारा जोडा गया संशोधन करते हुये ऐसे व्यक्ति जिनका 2003 तक कोई झौपडी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया हैं, उनको 300 वर्ग गज का पटटा जारी करने के लिए अधिकार प्रदान किया हैं। निगराकार ने निगरानी में स्वीकार किया कि जिस भूमि का प्रार्थीया को ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत का पटटा जारी किया, उस भूमि पर गैर निगराकार सं. 01 के पूर्वज छोटे लाल पारीक का 1989 से पहले ही कब्जा चला आ रहा हैं। छोटूलाल पारीक के वंशज शोभालाल पारीक ने इस मकान/ भूखण्ड पर पक्का निर्माण कर निवासरत हैं तथा पटटा पत्नी एवं पुत्रवधु के नाम पर बनवाया, जो नियम संगत हैं ग्राम पंचायत ने नियमों के तहत मिसल कायम कर नियमों की पालना करते हुए प्रार्थीया को पटटा जारी किया। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षैत्रों में लोगों को पटटे जारी करने के लिए महाअभियान चलाया गया जिसमें आपत्ति आमंत्रण की अवधि 7 दिन की गई थी।

सामान्य नियम 148 के अन्तर्गत एक सप्ताह की अवधि का आपत्ति पत्र दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति मौका स्थल पर चस्पा की गयी एवं दूसरी प्रति प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके समक्ष चस्पानगी हस्ताक्षर प्राप्त कर शामिल मिसल की गयी। गैर निगराकार सं. 01 ने आवेदन के साथ आवेदन शुल्क 20/–रूपये नक्शा शुल्क 50/–रूपये निरीक्षण शुल्क 50/–रूपये जुमला राशि रसीद संख्या 33/53 दिनांक 09.05.2017 को पंचायत कोष में जमा करा कर पटटा प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत में पेश किया। ग्राम पंचायत ने नियम 157 दिनांक 05.06.2017 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पटटा वितरण महाअभियान 2017 के तहत कोरम द्वारा नियम 157(ख) के अन्तर्गत गैर निगराकार को मकान का पटटा जारी किया गया। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 में प्रावधान किया गया हैं कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के निर्णय से व्यथित होता है तो वह पंचायत समिति में अपील करेगा, जिस पर धारा 61(2) के अन्तर्गत पंचायत समिति की स्थायी समिति सुनवाई करेगी। निगराकार ने दिनांक 14.11.2017 को पंचायत समिति में अपील पेश की जिस पर पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा अभी तक कोई निर्णय पारित नहीं किया हैं। एक प्रकरण की सुनवाई दो न्यायिक संस्थाओं में एक साथ नहीं हो सकता हैं। गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विधिवत् पटटा जारी हो पंजीयन भी हो चुका हैं, इस कारण से विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना निगरानी पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी सारहीन एवं असत्य तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि ग्राम पंचायत चीडखेडा पंचायत समिति सहाडा ने पत्रावली संख्या 153 संवत् 2074 दायर दिनांक 09.05.2017 में श्रीमती राजीदेवी पत्नी शोभालाल पारीक निवासी चीडखेडा के आवेदन पत्र स्वयं के पुश्तैनी मकान का नियम 157 के तहत पटटा जारी करने का प्रस्तुत करने पर सरपंच ग्राम पंचायत चीडखेडा ने राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत कार्यवाही कर नियम 146 स्थल का निरीक्षण कर नियम 147 के तहत सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर नियम 148 के तहत एक मास की अवधि का आपत्ति पत्र जारी किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर नियम 149 के तहत निस्तारण बकाया नही होने पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार 200/–रूपये जमा कर श्रीमती राजी देवी पत्नी शोभालाल पारीक निवासी चीडखेडा के नाम 50 बाई 40 वर्गफीट कुल 2000 वर्गफीट आबादी भूमि का पटटा संख्या 49 दिनांक 08.06.2017 को जारी किया गया। उक्त पटटे के संबंध में ग्रामवासियान चीडखेडा की शिकायत पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा ने दिनांक 14.11.2017 को जांच की, जिसमें अंकित किया कि पटटा संख्या 49 से संबंधित आबादी भूमि शोभालाल पारीक की पुश्तैनी भूमि नहीं हैं। अवैध कब्जा कर रखा हैं। नियम 156 के तहत वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार कब्जेधारक से राशि वसूल कर आबादी भूमि का विक्रय किये जाने चाहिये थे। पटटे

निरस्त कराये जाने योग्य मानते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के आधार पर निगराकार ने निगरानी प्रस्तुत की हैं। विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा की जांच रिपोर्ट दिनांक 14.11.2017 अनुसार आबादी भूमि चीडखेडा में श्रीमती राजीदेवी पत्नी शोभालाल पारीक निवासी चीडखेडा के नाम पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(ख) के अंतर्गत पटटा जारी किया गया जो विधि सम्मत नहीं हैं, जबकि पटटा संख्या 49 से संबंधित भूमि का नियम 156 के तहत वर्तमान प्रचलित डी. एल.सी. दर अनुसार राशि जमा करके पटटा जारी करना चाहिये था। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है।अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत चीडखेडा के स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत चीडखेडा पत्रावली संख्या 153 संवत् 2074 में जारी पटटा संख्या 49 दिनांक 08.06. 2017 को खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत चीडखेडा तहसील सहाडा को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28-11-.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा